-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 18.11.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **मिशन शक्ति 5.0 तथा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप थाना कमासिन क्षेत्र में वर्ष 2021 में नाबालिग के साथ कुकर्म करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 20 वर्ष के कठोर कारावास व 22 हजार रुपये जुर्मानें की सजा ।**

विवरण– शासन द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति 5.0 अभियान तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के तहत चिह्नित वर्ष-2021 में थाना कमासिन क्षेत्र अन्तर्गत नाबालिग के साथ कुकर्म करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया । गौरतलब हो कि दिनांक 10.08.2021 को थाना कमासिन क्षेत्र के रहने वाले एक बच्चे के साथ अभियुक्त पीयूष पुत्र दीपक निवासी कस्बा व थाना कमासिन द्वारा कुकर्म की घटना को अंजाम दिया था । इस सम्बन्ध में पीड़ित के पिता की तहरीर पर थाना कमासिन पर धारा 377/506 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना निरीक्षक श्री सुभाष चन्द्र चौरसिया द्वारा सम्पादित की गयी । विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था । लोक अभियोजक श्री सुनील कुमार गुप्ता द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी गौरव कुमार व जितेन्द्र कुमार तथा पैरोकार आरक्षी सतीश कुमार के अथक प्रयासों से अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास व 22 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

अभियुक्त-

1. **पीयूष पुत्र दीपक निवासी कस्बा व थाना कमासिन जनपद बांदा ।**

लोक अभियोजक
श्री सुनील कुमार गुप्ता

विवेचक
निरी0 श्री सुभाष चन्द्र चौरसिया

कोर्ट मोहर्रर
कां0 जितेन्द्र कुमार

कोर्ट मोहर्रर
कां0 गौरव दिवाकर

पैरोकार
कां0 सतीश कुमार